फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

संख्या :– 128/2023

सूरजप्रकाश **बनाम** सरकार

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30.04.2024	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। बहस वकील वादी की पूर्व में सुनी गई। वकील वादी उपस्थित, प्रतिवादी जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू का जवाब पेश हो चुका है। बहस वकील वादी की सुनी गई। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर व उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वादी का नाम पंकज पुत्र भीखा के स्थान पर सुरज प्रकाश पुत्र भीखाराम दुरूस्त किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर इस आदेश का अभिन्न भाग रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। ह० उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड चाकसू (जयपुर)	

न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– शिवचरण शर्मा (आरएएस)

वाद संख्या :–128 / 2023 निर्णय दिनांक :–30.9.2024

उनवान

1. सुरज प्रकाश पुत्र श्री भीखाराम जाति मीना, निवासी ग्राम गिरधारीलालपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर।

—–वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।

—–प्रतिवादी

दावा बाबत् घोषणा इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादी को वाद निम्न प्रकार पेश किया कि चाके ग्राम गिरधारीलालपुरा, तहसील चाकसू में आराजी खाता सं. 88 में खसरा नंबर 240 रकबा 0.03 है०, एवं खाता सं. 128 में खसरा नंबर 818 रकबा 0.88 है० एवं खाता सं. 92 में खसरा नंबर 138 रकबा 0.26 है0, खसरा नंबर 142 रकबा 0.33 है०, खसरा नंबर 143 रकबा 0.26 है0, खसरा नंबर 144 रकबा 0.26 है०, खसरा नंबर 166 रकबा 0.30 है०, खसरा नंबर 147 रकबा 0.27 है०, खसरा नंबर 148 रकबा 0.35 है०, खसरा नंबर 187 रकबा 0.15 है०, खसरा नंबर 188 रकबा 0.22 है०. खसरा नंबर 191 रकबा 0.34 है०. खसरा नंबर 192 रकबा 0.36 है०, खसरा नंबर 200 रकबा 0.16 है०. खसरा नंबर 201 रकबा 0.26 है0. खसरा नंबर 203 रकबा 0.24 है०, खसरा नंबर 204 रकबा 0.33 है०, कुल किता 15 कुल रकबा 4.09 है० एवं खाता सं. 99 में खसरा नंबर 834 रकबा 0.35 है०, खसरा नंबर 835 रकबा 0.06 है०, खसरा नंबर 916 रकबा 0.18 है०, कुल किता 03 कुल रकबा 0.59 है० एवं खाता सं. 91 में खसरा नंबर 186 रकबा 0.15 है० कुल किता 01 कुल रकबा 0.15 है० स्थित है जिस पर वादी काबिज काश्त होकर अपने परिवार

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

का जीविकोपार्जन करता है। उपरोक्त वर्णित आराजी पूर्व में वादी के दादा स्व. बालकिशन के नाम राजस्व रिकोर्ड में थी वादी के पिता वादी के दादा से पूर्व ही मृत्यु हो गई थी जिससे वादी के दादा की मृत्यु उपरान्त उक्त आराजी का नामान्तकरण जब वादी के नाम विरासत का खुला तब गलती से सुरज प्रकाश की जगह पंकज कर दिया क्योकि वादी सुरज प्रकाश को गाँव में पंकज कहकर भी पुकारा जाता था जबकि वादी के तमाम दस्तावेजात सुरज प्रकाश पुत्र भीखाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज है। वादी के समस्त कागजात पहचान पत्र, मूल निवास, जना आधार, आधार कार्ड, 10वी की अंक तालिका, वारिस प्रमाण पत्र इत्यादि सुरज प्रकाश पुत्र भीखाराम के नाम से बने हुये है। उक्त नामान्तकरण में सहवन से सुरज प्रकाश पुत्र भीखाराम की जगह पंकज पुत्र भीखा कर दिया गया जो दुरुस्त किये जाने योग्य है। इस प्रकार पंकज पुत्र भीखा नाम का कोई भी व्यक्ति ग्राम गिरधारीलालपुरा में नहीं है केवल वादी के नाम सुरज प्रकाश पुत्र भीखाराम की जगह पंकज पुत्र भीखा नामान्तकरण तस्दीक करते वक्त राजस्व कर्मचारियो द्वारा कर दिया गया जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त दुरूस्ती के बिना वादी अपनी जमीन पर मिलने वाली राजकीय लाभो, ऋणो इत्यादि से वंचित है वादी ने उक्त दुरूस्ती हेतु तहसीलदार जी मार्च माह 2023 में निवेदन किया तो उन्होने सक्षम न्यायालय से नाम दुरूस्त करवाये जाने की हिदायत दी इसलिये वादी को उक्त वाद पेश करना आवश्यक हुआ। वाद कारण जब मार्च माह 2023 में नाम दुरूस्ती हेतु निवेदन किये जाने पर तहसीलदारजी ने सक्षम न्यायालय से दुरुस्त करवाने की हिदायत दी गई तब उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। दावा वादी बहक प्रतिवादी डिक्री किया जाकर बाद पत्र में वर्णित आराजी खाता सं. 88 में खसरा नंबर 240 रकबा 0.03 है०, एवं खाता सं. 128 में खसरा नंबर 818 रकबा 0.88 है० एवं खाता सं. 92 में खसरा नंबर 138 रकबा 0.26 है०, खसरा नंबर 138 रकबा 0.26 है0, खसरा नंबर 142 रकबा 0.33 है०, खसरा नंबर 143 रकबा 0.26 है०, खसरा नंबर 144 रकबा 0.26 है०, खसरा नंबर 146 रकबा 0.30 है०, खसरा नंबर 147 रकबा 0.27 है०, खसरा नंबर 148 रकबा 0.35 है0, खसरा नंबर 187 रकबा 0.15 है०, खसरा नंबर

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

188 रकबा 0.22 है०, खसरा नंबर 191 रकबा 0.34 है०, खसरा नंबर 192 रकबा 0.36 है0, खसरा नंबर 200 रकबा 0.16 है०, खसरा नंबर 201 रकबा 0.26 है०, खसरा नंबर 203 रकबा 0.24 है०, खसरा नंबर 204 रकबा 0.33 है०, कुल किता 15 कुल रकबा 4.09 है० एवं खाता सं. 99 में खसरा नंबर 834 रकबा 0.35 है०, खसरा नंबर 835 रकबा 0.06 है०, खसरा नंबर 916 रकबा 0.18 है०, कुल किता 03 कुल रकबा 0.59 है० एवं खाता सं. 91 में खसरा नंबर 186 रकबा 0.15 है० कुल किता 01 कुल रकबा 0.15 है0 में वादी का नाम पंकज पुत्र भीखा को हजब कर सुरज प्रकाश पुत्र भीखाराम घोषित किया जावे तथा तहसीलदार जी को आदेशित किया जावे कि बादी का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अमल पंकज पुत्र भीखा को हटा कर किया जाकर इन्द्राज दुरुस्त सुरज प्रकाश पुत्र भीखाराम अंकित कर किया जावे तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी पेदा नहीं करे।

दावा वादी वकील द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार चाकसू को द्वारा पत्र कमांक/राजस्व/24/231 दिनांक 05.01.2024 के द्वारा जवाब दावे का जवाब भिजवाने हेतु लिखा गया तो तहसीलदार चाकसू ने आदेश की पालना में पत्र कमांक आरएनटी/2024/49 दिनांक 04.03.2024 के द्वारा दावे का जवाब सरकार इस प्रकार भिजवाया गया प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से पटवारी हल्का गिरधारीलालपुरा से प्राप्त जांच पोर्ट अनुसार जवाब सरकार निम्न प्रकार सादर प्रेषित है:- मद संख्या 1 के कम में ग्राम गिरधारीलालपुरा की राजस्व जमाबंदी सम्वत 2076-79 के खाता संख्या 88, 128, 99, 91, 92 में वादी का नाम पंकज पुत्र भीखा जाति मीना हि० जमाबंदी अनुसार दर्ज रिकार्ड है। उक्त खातों पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय चाकसू के मुकदमा नं0 214/15 तथा 52/16 में स्थगन का नोट लगा हुआ है। मद संख्या 2 के कम में उक्त भूमि वादी सूरजप्रकाश को नामान्तकरण संख्या 75 विरासत में बालकिशन से पंकज पुत्र भीखा के नाम से प्राप्त हुई है। शेष वादी स्वयं सिद्व करें। मद संख्या 3 के कम में मुताबिक फर्द मौका रिपोर्ट ग्रामवारियों से जानकारी अनुसार वादी सूरजप्रकाश

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

...\CRT\surajpraksh vs sarkar.docx

पुत्र भीखाराम व पंकज पुत्र भीखा ग्राम में एक ही व्यक्ति होना बताया गया है। इस नाम से ग्राम में अन्य व्यक्ति होना नहीं बताया गया है। उक्त भूमि बादी को अपने दादाजी बालकिशन से विरासत में प्राप्त होना बताया गया है। शेष बादी स्वयं सिद्ध करें। मद संख्या 4 से 7 विधिक है। मद संख्या 8 (क) से 8 (ग) माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

जवाब सरकार पेश होने पर बहस दावा वकील वादी सुनी गयी तो वकील वादी ने दावे का समर्थन करते हुये कथन किया कि नामान्तकरण खोलते वक्त वादी का नाम पंकज पुत्र भीखा दर्ज हो गया है जबकि वादी का वास्तविक नाम सुरज प्रकाश पुत्र भीखाराम है व इसी अनुसार जमाबन्दी मे अमल हो गया जिसे प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार, की रिपोर्ट अनुसार दुरूस्त फरमाया जावें।

वकील वादी की बहस पर गोर किया व ग्राम गिरधारीलालपुरा तहसील चाकसू की जमाबन्दी दावे के समर्थन में ग्राम गिरधारीलालपुरा तहसील चाकसू की जमाबन्दी आराजी के आराजी खाता सं. 88 में खसरा नंबर 240 रकबा 0.03 है०, एवं खाता सं. 128 में खसरा नंबर 818 रकबा 0.88 है० एवं खाता सं. 92 में खसरा नंबर 138 रकबा 0.26 है०, खसरा नंबर 138 रकबा 0.26 है0, खसरा नंबर 142 रकबा 0.33 है०, खसरा नंबर 143 रकबा 0.26 है०, खसरा नंबर 144 रकबा 0.26 है०, खसरा नंबर 146 रकबा 0.30 है०, खसरा नंबर 147 रकबा 0.27 है०, खसरा नंबर 148 रकबा 0.35 है0, खसरा नंबर 187 रकबा 0.15 है०, खसरा नंबर 188 रकबा 0.22 है०. खसरा नंबर 191 रकबा 0.34 है०, खसरा नंबर 192 रकबा 0.36 है0, खसरा नंबर 200 रकबा 0.16 है०, खसरा नंबर 201 रकबा 0.26 है०. खसरा नंबर 203 रकबा 0.24 है०, खसरा नंबर 204 रकबा 0.33 है०, कुल किता 15 कुल रकबा 4.09 है० एवं खाता सं. 99 में खसरा नंबर 834 रकबा 0.35 है०, खसरा नंबर 835 रकबा 0.06 है०, खसरा नंबर 916 रकबा 0.18 है०, कुल किता 03 कुल रकबा 0.59 है० एवं खाता सं. 91 में खसरा नंबर 186 रकबा 0.15 है० कुल किता 01 कुल रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम गिरधारीलालपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर मे पहचान पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र,

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, 10वी की अंकतालिका, वारिश प्रमाण पत्र एवं जवाब सरकार रिपोर्ट तहसीलदार का परीक्षण किया गया तो सहवन से नामान्तकरण खोलते वक्त व जमाबन्दी मे अमल करते वक्त वादी के पंकज पुत्र भीखा दर्ज हो गया है जो गलत अंकित है, जिसे रिपोर्ट तहसीलदार, रिपोर्ट व पहचान पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, 10वी की अंकतालिका, वारिश प्रमाण पत्र अनुसार वादी के सुरज प्रकाश पुत्र भीखाराम नाम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि प्रार्थी के नाम को सुरज प्रकाश पुत्र भीखाराम दुरूस्त किया जाता है। व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार चाकसू को लिखा जावें, पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(शिवचरण शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
उपचाकसू (जयपुर)

\Office\CRT\surajpraksh vs sarkar.docx